क्रमांक-17

मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

शुक्रवार, दिनांक 15 मार्च, 2013 (फाल्गुन 24, 1934)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.33 बजे समवेत हुई.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित में से 14 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये।

(श्री सुखदेव पांसे, सदस्य द्वारा मध्यप्रदेश गान में माँ ताप्ती का नाम सम्मिलित करने संबंधी तारांकित प्रश्न संख्या 13 (क्र. 1436) पर शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया।)

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 64 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 88 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि नियम 267-क के अधीन लम्बित सूचनाओं में से 36 सूचनाएं नियम 267-क (2) को शिथिल कर, आज सदन में लिये जाने की अनुज्ञा प्रदान की गई है। ये सूचनाएं संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेंगी तथा इन्हें उत्तर के लिये संबंधित विभागों को भेजा जाएगा। तदनुसार –

(1) श्री प्रताप ग्रेवाल, सदस्य की इन्दौर एवं उज्जैन संभाग के मोगिया समाज को जाति प्रमाण-पत्र न दिये जाने,
(2) श्री रामनिवास रावत, सदस्य की श्योपुर जिले की विजयपुर तहसील के ग्रामों में अन्न योजना के राशन कार्ड न बनाये जाने,
(3) श्री पारस सकलेचा, सदस्य की रतलाम जिले के औद्योगिक क्षेत्र की जमीन गोदाम बनाने हेतु दी जाने,
(4) श्री रामदयाल अहिरवार, सदस्य की भोपाल शहर के प्रियंका नगर में गंदगी होने,
(5) श्री गिरिराज किशोर पोद्दार, सदस्य की कटनी जिले के कैमोर में ए.सी.सी. प्लांट में एक कर्मचारी की मौत होने,
(6) श्री प्रेमनारायण ठाकुर, सदस्य की अमरवाड़ा स्थित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवनके जीर्ण-शीर्ण होने,
(7) श्री आरिफ अकील, सदस्य की अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में छात्रवृत्ति आवेदन फार्म मुद्रण के नाम पर भ्रष्टाचार होने,
(8) श्री दीपक जोशी, सदस्य की लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा शिक्षक के पद की राशि का दुरूपयोग एवं अनियमितता करने,
(9) श्रीमती रेखा यादव, सदस्य की छतरपुर जिले के कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास बक्सवाह के भवन निर्माण में अनियमितता होने,
(10) श्री रामगरीब कोल, सदस्य की रीवा जिले के त्यौंथर में उदवहन सिंचाई नहरों के प्रभावितों को पुनर्वास हेतु भूमि न दी जाने,
(11) श्री हेमराज कल्पोनी, सदस्य की प्रदेश के अनेक जिलों में सौधिया समाज को विमुक्त जाति की सूची में शामिल न किये जाने,
(12) श्री अजय सिंह, सदस्य की दतिया नगर में मूलभूत सुविधाओं का अभाव होने,
(13) श्री सुदर्शन गुप्ता, सदस्य की इंदौर संभाग में स्वाइन फ्लू रोग फैलने,
(14) श्री नारायण प्रजापति, सदस्य की सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बण्डा में चिकित्सकों के पद रिक्त होने,
(15) श्री रमेश भटेरे, सदस्य की लांजी क्षेत्र के सार्वजनिक स्थलों से शराब की दुकानें हटाई जाने,
(16) कुंवर सिंह टेकाम, सदस्य की सिंगरौली जिले में अपात्र लोगों को शासकीय भूमि के पट्टे दिये जाने,
(17) श्री परसराम मुदगल, सदस्य की मुरैना जिले की तुरसीपुरा बस्ती में करंट से मृत्यु होने,
(18) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य की टीकमगढ़ जिले के ग्राम लहर बुजुर्ग की भगवान के मंदिर की भूमि को बेचे जाने,
(19) श्री पुरूषोत्तम दांगी, सदस्य की स्वास्थ्य कार्यालय, राजगढ़ द्वारा स्टाफ नर्स की ट्रेनिंग का भत्ता न दिये जाने,
(20) श्री भगवान सिंह राजपूत, सदस्य की रायसेन जिले के उदयपुरा में विद्युत की अघोषित कटौती की जाने,
(21) डॉ. (श्रीमती) विनोद पंथी, सदस्य की बीना के आगासौदा ग्राम में स्वास्थ्य केन्द्र भवन जर्जर होने,
(22) श्री संतोष जोशी, सदस्य की शाजापुर जिले में प्रशिक्षणार्थियों को टी.ए.बिल न दिये जाने,
(23) श्री चम्पालाल देवड़ा, सदस्य की स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पदोन्नति में अनियमितता करने,
(24) श्री विश्वास सारंग, सदस्य की भोपाल जिले में अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र बनवाने में परेशानी होने,
(25) श्री ध्रुवनारायण सिंह, सदस्य की भोपाल के वार्ड क्रमांक 49 में सीवेज का पानी जमा होने,

(26) श्री रामलखन सिंह, सदस्य की थाना सिवनी द्वारा आपराधिक कृत्य में लिप्त व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई न करने,
(27) डॉ. निशिथ पटेल, सदस्य की कटनी जिले में आवासों को बिना पूर्व सूचना दिए तोड़े जाने,
(28) डॉ. महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, सदस्य की रतलाम जिले में भू-जल स्तर के नीचे चले जाने,
(29) श्री कमल पटेल, सदस्य की हरदा जिले की अनेक ग्राम पंचायतों में निराश्रित, विधवा, विकलांग एवं वृद्धा पेन्शन की राशि न मिलने,
(30) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्य की प्रदेश में हुई डी.एड. की परीक्षा के परिणाम घोषित न होने,
(31) श्री के.पी. सिंह, सदस्य की चन्देरी सड़क मार्ग को लेवल में किये जाने,
(32) श्री प्रियव्रत सिंह, सदस्य की दतिया नगर पालिका द्वारा किये जा रहे निर्माण कार्यों में अनियमितता होने,
(33) श्री श्रीकांत दुबे, सदस्य की पन्ना जिले के ग्राम हरदाही स्थित अशासकीय तालाब का अवैध नामान्तरण किए जाने,
(34) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर, सदस्य की टीकमगढ़ जिले के रजक समाज को अनुसूचित जाति में शामिल न किये जाने,
(35) श्री शैलेन्द्र कुमार जैन, सदस्य की सागर जिले में मोती नगर थाना के अन्तर्गत गौ मांस बेचे जाने तथा
(36) श्री अलकेश आर्य, सदस्य की बैतूल जिले के आठनेर में ताप्ती नदी पर जलाशय का निर्माण किये जाने

संबंधी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी मानी गईं।

(श्री आरिफ अकील, सदस्य द्वारा उनके अशासकीय संकल्प को सदन में चर्चा में न लिए जाने के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया)

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने कृषि विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-4-18-2001-चौदह-2, दिनांक 4 अक्टूबर, 2002 पटल पर रखी।

(2) डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2008-09 तथा 2009-10 पटल पर रखे।

4. ध्यान आकर्षण

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से नियम (138) (3) को शिथिल करके, आज की दैनिक कार्यसूची में उल्लेखित 23 सूचनाओं में से प्रथम 8 ध्यानाकर्षण सूचनाएं सदन में लिये जाने सम्बन्धी घोषणा की गई। तदनुसार –

(1) श्री प्रेमनारायण ठाकुर, सदस्य ने प्रदेश के औपचारिकेत्तर शिक्षा योजना के तहत कार्यरत पर्यवेक्षकों तथा अनुदेशकों को पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद भी नियुक्ति न दिये जाने की ओर ध्यान आकर्षित किया। डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) अध्यक्ष महोदय द्वारा सर्वश्री पारस सकलेचा, यशपाल सिंह सिसोदिया तथा चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्यगण की रतलाम जिले में स्थित सज्जन मिल के श्रमिकों के स्वत्वों का भुगतान न होने संबंधी ध्यान आकर्षण सूचना को, उनके अनुरोध पर अगले कार्य दिवस में लेने संबंधी घोषणा की गई।

(3) श्री रामलाल मालवीय, सदस्य ने उज्जैन जिले की जनपद पंचायत घट्टिया के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा अनियमितता किये जाने की ओर ध्यान आकर्षित किया। डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(4) श्री सुदर्शन गुप्ता, सदस्य ने इंदौर शहर में ध्वनि विस्तारक यंत्रों से ध्वनि प्रदूषण होने की ओर ध्यान आकर्षित किया। श्री उमाशंकर गुप्ता, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(5) श्री भगत सिंह नेताम, सदस्य ने बालाघाट जिले की जनपद पंचायत बैहर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा कपिल धारा योजना के तहत आदिवासी हितग्राहियों को डीजल पम्प प्रदाय में अनियमितता किये जाने की ओर ध्यान आकर्षित किया। कुंवर विजय शाह, आदिम जाति कल्याण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(6) श्री गौतम टेटवाल, सदस्य ने राजगढ जिले के सारंगपुर नगर में स्थित काली सिंध नदी का पुल क्षतिग्रस्त होने की ओर ध्यान आकर्षित किया। श्री नागेन्द्र सिंह, लोक निर्माण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(7) श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, सदस्य ने ग्वालियर के चार शहर नाका पर वाहन की चपेट में आने से छात्र की मौत होने की ओर ध्यान आकर्षित किया। श्री उमाशंकर गुप्ता, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(8) श्री बलीसिंह मरावी, सदस्य की शहडोल जिले के ब्यौहारी में नलजल योजना हेतु निविदा प्रक्रिया में अनियमितता होने संबंधी ध्यान आकर्षण सूचना को उनकी अनुपस्थितिवश प्रस्तुत नहीं किया गया।

सभापति महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, कार्यसूची के पद 3 के उप पद (9) से (23) तक के माननीय सदस्यों की निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्रीगण द्वारा वक्तव्य पढ़े हुए माने गए –

(9) श्री बिसाहूलाल सिंह, सदस्य की सिवनी जिले के महाविद्यालय के परीक्षा परिणाम घोषित न किये जाने संबंधी सूचना तथा उच्च शिक्षा मंत्री का वक्तव्य।

(10) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की विदिशा जिले के त्योंदा में नसबंदी ऑपरेशन के दौरान दो महिलाओं की मौत होने संबंधी सूचना तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का वक्तव्य।

(11) श्री रामलल्लू वैश्य, सदस्य की सिंगरौली जिले के हर्रहवा स्थित शाला भवन का निर्माण अपूर्ण होने संबंधी सूचना तथा स्कूल शिक्षा मंत्री का वक्तव्य।

(12) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की राजगढ़ जिले के ग्राम बेडावे निवासी प्रसूता की इलाज के अभाव में मौत होने संबंधी सूचना तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का वक्तव्य।

(13) श्री आरिफ अकील, सदस्य की भोपाल विकास हेतु बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम योजना की राशि का दुरूपयोग किये जाने संबंधी सूचना तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का वक्तव्य।

(14) श्री आरिफ अकील, सदस्य की भोपाल के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा मदरसा बोर्ड के नाम पर शासकीय राशि का दुरूपयोग किये जाने संबंधी सूचना तथा स्कूल शिक्षा मंत्री का वक्तव्य।

(15) श्री रामगरीब कोल, सदस्य की कटनी जिले की जनपद पंचायत रीठी के अतंर्गत पौध रोपण कार्य में अनियमितता किये जाने संबंधी सूचना तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का वक्तव्य।

(16) श्री रामनिवास रावत तथा डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्यगण की डिंडोरी जिले के गोरखपुर अस्पताल में जबरन नसबंदी आपरेशन किये जाने संबंधी सूचना तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का वक्तव्य।

(17) डॉ.गोविन्द सिंह, सदस्य की ग्वालियर जिले के पड़ाव थानान्तर्गत नसबंदी ऑपरेशन के दौरान एक महिला की मौत होने संबंधी सूचना तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का वक्तव्य।

(18) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्य की झाबुआ जिले की जेल में महिला कैदी गर्भवती होने संबंधी सूचना तथा जेल मंत्री का वक्तव्य।

(19) राव देशराज सिंह यादव, सदस्य की गुना जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के प्रबंधक द्वारा अनियमितता किये जाने संबंधी सूचना तथा सहकारिता मंत्री का वक्तव्य।

(20) श्री सुदर्शन गुप्ता, सदस्य की इंदौर जिले के ग्राम पालाखेड़ी में आवासीय योजना चालू न किये जाने संबंधी सूचना तथा आवास मंत्री का वक्तव्य।

(21) सर्वश्री मोती कश्यप तथा भगवान सिंह राजपूत, सदस्यगण की कटनी जिले के ग्राम कुंआ में बिजली के तारों के जाल में फंसने से बाघ की मौत होने संबंधी सूचना तथा वन मंत्री का वक्तव्य।

(22) श्री भगवान सिंह राजपूत, सदस्य की भोपाल नगर में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन के तहत जल प्रदाय योजना का कार्य अधूरा होने संबंधी सूचना तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का वक्तव्य।

(23) डॉ.गोविन्द सिंह तथा श्री पुरूषोत्तम दांगी, सदस्यगण की भोपाल के शिक्षक कॉंग्रेस गृह निर्माण समिति के संचालक मण्डल द्वारा भूखण्डों की अवैध बिक्री किये जाने संबंधी सूचना तथा सहकारिता मंत्री का वक्तव्य।

5. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सभापति ने प्रत्यायुक्त विधान समिति का पंचम् एवं षष्ठम् कार्यान्वयन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

6. याचिकाओं की प्रस्तुति

सभापति महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों की याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गईः-

(1) श्री ध्रुवनारायण सिंह (शहर -भोपाल)
(2) श्री भगवान सिंह राजपूत (जिला-रायसेन)
(3) श्री गौतम टेटवाल (जिला-राजगढ़)
(4) श्री प्रेमनारायण ठाकुर (जिला-छिंदवाड़ा)
(5) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर (जिला-टीकमगढ़)

7. वर्ष 2013-14 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः)

(दिनांक 4, 5, 6 7, 8, 12, 13 एवं 14 मार्च, 2013 को हुई चर्चा का पुनर्ग्रहण)

(24) श्री उमाशंकर गुप्ता, गृह मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को –

अनुदान संख्या – 3	पुलिस के लिए चार हजार सत्तर करोड़, पचानवे लाख, चौहत्तर हजार रूपये तथा
अनुदान संख्या – 4	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय के लिए तेईस करोड़, साठ लाख, अठारह हजार रूपये तक की राशि दी

जाए।

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात्, मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, उपनेता प्रतिपक्ष
(2) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया
(3) श्री रामनिवास रावत
(4) श्री सुदर्शन गुप्ता
(5) डॉ. गोविन्द सिंह
(6) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर
(7) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति
(8) श्रीमती सुलोचना रावत
(9) श्री पारस सकलेचा
(10) राव देशराज सिंह यादव
(11) श्री श्रीकांत दुबे

श्री उमाशंकर गुप्ता ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

8. सम्पत्ति विवरण पटल पर रखा जाना

श्री हरिशंकर खटीक, राज्यमंत्री, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण द्वारा अपना एवं परिवार की सम्पत्ति का विवरण सदन के पटल पर रखा गया।

9. वर्ष 2013-14 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः)

(25) श्री पारसचंद जैन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को –

अनुदान संख्या – 39 खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण के लिए एक हजार छह सौ चालीस करोड़, चौतीस लाख, उन्नीस हजार रूपये तक की राशि दी जाए।

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात्, मांग और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री यादवेन्द्र सिंह
(2) श्री शंकरलाल तिवारी
(3) श्री राजवर्धन सिंह
(4) राव देशराज सिंह यादव

श्री पारसचंद जैन ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांग का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

10. अध्यक्षीय घोषणा

अनुदान मांगों पर चर्चा पूर्ण होने के उपरान्त, विनियोग विधेयक के पुरःस्थापन विषयक

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से यह घोषणा की गई कि – ''विधान सभा नियमावली के नियम 153 (2) के अनुसार - अनुदान की मांगों पर चर्चा और मतदान हेतु नियत दिनों के अंतिम दिन आज 4.00 बजे अनुदानों के संबंध में सभी अवशिष्ट विषयों को निपटाने के लिए आवश्यक प्रश्न रखा जाना है। परंतु अनुदानों की मांगों पर चर्चा की स्थिति को देखते हुए, इस नियम को शिथिल कर, कार्यसूची में उल्लेखित सभी अनुदान की मांगों पर मतदान पूर्ण होने तक समय में वृद्धि करके, अनुदान की मांगों पर चर्चा होने के उपरांत विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन किया जाएगा।''

11. वर्ष 2013-14 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः)

(26) श्रीमती रंजना बघेल, महिला एवं बाल विकास मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को –

अनुदान संख्या – 55	महिला एवं बाल विकास के लिए दो हजार आठ सौ पैसठ करोड़, पचासी लाख रूपये तक की राशि दी जाए।

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात्, मांग और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्रीमती साधना स्थापक
(2) श्रीमती नीता पटेरिया

श्रीमती रंजना बघेल ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांग का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

12. अध्यक्षीय घोषणा
अशासकीय कार्य पर चर्चा के समय में परिवर्तन विषयक

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से यह घोषणा की गई कि – "विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 23 के अनुसार शुक्रवार की बैठक के अंतिम ढाई घन्टे गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के सम्पादन के लिए नियत है तथा आज सदन की बैठक 7.00 बजे तक नियत होने से आज अपराह्न 4.30 बजे से अशासकीय कार्य लिया जाना है परन्तु आज की कार्यसूची में उल्लेखित शासकीय विधि विषयक कार्य पूर्ण होने के उपरान्त अशासकीय कार्य लिया जाएगा।"

13. वर्ष 2013-14 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः)

(27) श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह, पर्यटन, खेल और युवक कल्याण मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को –

अनुदान संख्या – 37	पर्यटन के लिए एक सौ चौवन करोड़, चालीस लाख, पांच हजार रूपये तथा
अनुदान संख्या – 43	खेल और युवक कल्याण के लिए अस्सी करोड़, पचहत्तर लाख, तेरह हजार रूपये तक की राशि दी जाए।

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात्, मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) डॉ. गोविन्द सिंह
(2) श्री ओमप्रकाश सकलेचा
(3) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर
(4) श्री पारस सकलेचा
(5) श्री गिरिजाशंकर शर्मा
(6) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति

श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

14. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) का पुर:स्थापन किया।

15. अशासकीय संकल्प

(1) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया कि –

" यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि टीकमगढ़ से ललितपुर रेल्वे सेवा प्रारंभ कराई जाए". तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

श्री जगदीश देवड़ा, परिवहन मंत्री ने उत्तर दिया।

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

(2) श्री पांचीलाल मेड़ा, सदस्य ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया कि –

" यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि इंदौर से मनमाड़ तक व्हाया धामनौद सेंधवा रेल लाईन बिछाई जाए". तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

श्री जगदीश देवड़ा, परिवहन मंत्री ने उत्तर दिया।

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

(3) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया कि –

" सदन का यह मत है कि प्रदेश में प्रत्येक विकास खंड एवं तहसील स्तर पर शासकीय या निजी कृषि उच्चर माध्यमिक विद्यालय एवं प्रत्येक जिला स्तर पर शासकीय अथवा निजी कृषि महाविद्यालय खोला जाये". तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तर दिया।

सदन की अनुमति से संकल्प वापस हुआ

अपराह्न 5.34 बजे विधान सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 18 मार्च, 2013 (फाल्गुन 27, 1934) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 15 मार्च, 2013